उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

म्युटेशन रिवीजन वाद संख्या–22 / 2017

किरण देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं 8 अन्य।

आदेश

04.1.18

अपीलार्थी किरण देवी पति–डा० दुर्गा प्रसाद, साकिन–डोमचांच, पोस्ट–डोमचांच थाना–डोमचांच, जिला–कोडरमा के द्वारा अलख निरंजन बक्शी, निरंजन प्रसाद बक्शी, बक्शी सिंजन प्रसाद, सभी पिता–स्व० बक्शी साधु चरण प्रसाद, विनय कुमार सिन्हा, पंकज कुमार सिन्हा, निर्मल कुमार सिन्हा, गौतम कुमार सिन्हा, सभी पिता–स्व० कृष्ण मुरारी प्रसाद एवं हरि नाथ बक्शी पिता–स्व० मुरली मनोहर प्रसाद, सभी साकिन–डोमचांच, पोस्ट–डोमचांच बाजार, थाना–डोमचांच, जिला–कोडरमा के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल–खारीज अपील वाद संख्या–03 / 2015–16 में दिनांक 31–05–2017 को पारित आदेश के विरूद्ध म्युटेशन रिवीजन वाद दायर किया गया।

अपीलार्थी का अनुरोध निम्नवत् है :–

1. वाद को प्रविष्ट किया जाय।
2. निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर पुनः सुनवाई की जाय।
3. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03 / 2015–16 में दिनांक 31–05–2017 को पारित आदेश निरस्त किया जाय।
4. अंचल अधिकारी, डोमचांच के द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–98(IX)/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 03–06–2003 को सम्पुष्ट किया जाय।

दिनांक 16–10–17 को अभिलेख खोलकर कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। उक्त वाद की लगातार 05 निर्धारित तिथियों में अपीलार्थी अनुपस्थित रही है।

C.C. No 24 16.1.18

दिनांक 28–12–2017 को सुनवाई के दौरान आवेदिका को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका प्रदान किया गया किन्तु दिनांक 02–1–2018 को भी आवेदिका अनुपस्थित रहीं।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान कहा गया कि अपीलार्थी अपना पक्ष रखने में समर्थ नहीं हुई एवं इस अपील को खारीज किया जाना चाहिए।

C.C. No 23 13.1.18

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है,

1. पारिवारिक बँटवारा दिनांक 25–6–1971 की छायाप्रति।
2. खाता नं0–931, खतियान की छायाप्रति।
3. निबंधित केवाला संख्या–1675 / 03 दिनांक 10–4–2003 की छायाप्रति।
4. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 06 / 2006–07 एवं दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 07 / 2006–07 में दिनांक 9–10–2009 को पारित आदेश की छायाप्रति।
5. दिनांक 14–9–2006 को विक्रेता हरिनाथ बक्शी द्वारा किया गया शपथ पत्र की छायाप्रति, जिसमें उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कोई हक नहीं है ।
6. दिनांक 31–05–2017 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03 / 2015–16 में पारित आदेश की छायाप्रति।

C.C. No 10 6.1.18

Scanned with CamScanner

-2-

7. मालगुजारी रसीद की छायाप्रति।
8. विविध वाद सं० 203/2016 में अनुमंडल दण्डाधिकारी, कोडरमा द्वारा दिनांक 09-11-2016 को पारित आदेश की छायाप्रति।
9. वंशावली की छायाप्रति।
10. अंचल अधिकारी, डोमचाँच के पत्रांक 706 दिनांक 8-9-2016 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

उपर्युक्त कागजातों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी किरण देवी श्री हरिनाथ बक्शी से उक्त भूमि क्रय की है, जबकि श्री हरिनाथ बक्शी ने शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार किया है कि **"प्रश्नगत भूमि पर मेरा कभी भी कोई हक, हकूक व दखल कब्जा नहीं रहा है और इस जमीन को बेचने का मैं किसी भी तरीके से हकदार नहीं हूँ।"**

अभिलेख में संलग्न बँटवारा नामा के अनुसार प्रश्नगत भूमि विपक्षी संख्या 2 से 8 के हिस्से की भूमि है, विपक्षी संख्या-9, हरिनाथ बक्शी, जो प्रश्नगत भूमि के विक्रेता है, के हिस्से की भूमि नही है। अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं कागजात उपलब्ध नहीं किया गया और वे लगातार 05 तिथियों से अनुपस्थित रही। इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरूचि नही है।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा ने दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 07/2006-07 में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और दाखिल कागजातों के अवलोकन के पश्चात आदेश पारित किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि, "उपरोक्त तथ्यों एवं कागजातों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आपसी बँटवारा, खतियान एवं जमाबन्दी के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से की है, जिसे विक्रेता हरिनाथ बक्शी को बिक्री करने का कोई आधार नहीं था और न ही उक्त भूमि पर विक्रेता अथवा क्रेता का दखल कब्जा है बल्कि उक्त भूमि अपीलार्थी के दखल कब्जे में है। अतः अंचलाधिकारी, कोडरमा हाल डोमचाँच द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 98(IX)/2003-04 में दिनांक 03-6-2003 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस अपीलवाद को स्वीकृत किया जाता है।"

विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता हरिनाथ बक्शी को प्रश्नगत भूमि को बिक्री करने का कोई आधार नही था और न ही उक्त भूमि पर विक्रेता अथवा क्रेता का दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि आपसी बँटवारा, खतियान एवं जमाबन्दी के अनुसार विपक्षी संख्या 2 से 8 के हिस्से की है एवं उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 से 8 के दखल कब्जे में है। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा सभी तथ्यों एवं कागजातों के अवलोकन के पश्चात दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-03/2015-16 में दिनांक 31-05-2017 को आदेश पारित करते हुए अंचलाधिकारी, कोडरमा हाल डोमचाँच द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या 98(IX)/2003-04 में दिनांक 03-6-2003 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलवाद को स्वीकृत किया गया है, जो स्वतः स्पष्ट है। इस आदेश को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता के विधिक मंतव्य तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं साक्ष्यों के आलोक में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-03/2015-16 में दिनांक 31-05-2017 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी के अपील को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।